एस0एन0डी0 2015-16

वित्तीय स्वीकृति (आयोजनागत)

संख्या-100/2015/724/एक-5-2015-26/2015

प्रेषक,

गिरीश चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-5 **लखनऊः दिनांक 18 जून, 2015**

विषयः-प्रदेश की नवसृजित तहसीलों के विभिन्न आवासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 के पत्र संख्या-141/12(भवन)-25/2015, दिनांक 16 अप्रैल, 2015 के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-397/एक-5-2015-26/2015, दिनांक 27 मार्च, 2015 के द्वारा प्रदेश की नवसृजित 04 तहसीलों, जनपद मुजफफरनगर की तहसील खतौली, जनपद बांदा की तहसील अतर्रा, जनपद अमेठी की तहसील गौरीगंज तथा जनपद महराजगंज की तहसील सदर के आवासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु प्रति तहसील मानकीकृत लागत रू0 264.23 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में प्रति तहसील रू0 132.00 लाख अर्थात् 04 तहसीलों हेतु कुल रू0 528.00 लाख (रूपये पांच करोड़ अठठाईस लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गयी थी।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में कि शासनादेश संख्या-397/एक-5-2015-26/2015, दिनांक 27 मार्च, 2015 के द्वारा प्रदेश की नवसृजित उपरोक्त 04 तहसीलों हेतु अवमुक्त की गयी प्रति तहसील रू0 132.00 लाख अर्थात् 04 तहसीलों हेतु कुल रू0 528.00 लाख (रूपये पांच करोड़ अठठाईस लाख मात्र) की धनराशि कोषागार से आहरित न हो सकी।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या-397/एक-5-2015-26/2015, दिनांक 27 मार्च, 2015 के द्वारा प्रदेश की नवसृजित उपरोक्त 04 तहसीलों हेतु अवमुक्त की गयी प्रति तहसील रू0 132.00 लाख अर्थात् 04 तहसीलों हेतु कुल रू0 528.00 लाख की धनराशि कोषागार से आहरित न हो पाने के दृष्टिगत प्रतिपूर्ति हेतु **पुनः प्रदेश की नवसृजित 04 तहसीलों, जनपद मुजफफरनगर की तहसील खतौली, जनपद बांदा की तहसील अतर्रा, जनपद अमेठी की तहसील गौरीगंज तथा जनपद महराजगंज की तहसील सदर के आवासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु प्रति तहसील अनुमोदित मानकीकृत लागत रू0 264.23 लाख के आधार पर प्रथम किश्त के रूप में प्रति तहसील रू0 132.00 लाख अर्थात् उक्त 04 तहसीलों के आवासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु कुल रू0 528.00 लाख (रूपये पांच करोड़ अठठाईस लाख मात्र)** की धनराशि अवमुक्त कर व्यय किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) राजस्व परिषद द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि नियमानुसार आहरित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था (पैकफेड) को उक्त प्रयोजन हेतु शीघ्र उपलब्ध करा दी जायेगी।

(2) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष सम्पन्न कराये गये कार्य की गुणवत्ता निर्धारित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप कराते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय से उपलब्ध कराया जाय। निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा के अन्दर पूर्ण भी किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) राजस्व परिषद द्वारा यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में शासनादेश संख्या-397/एक-5-2015-26/2015, दिनांक 27 मार्च, 2015 के द्वारा प्रदेश की नवसृजित उपरोक्त 04 तहसीलों हेतु अवमुक्त की गयी प्रति तहसील रू0 132.00 लाख अर्थात् 04 तहसीलों हेतु कुल रू0 528.00 लाख की धनराशि कोषागार से आहरित न हुई हो।

(4) स्वीकृति धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। मूल स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश में दिये गये दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-50 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01-सरकारी रिहायशी भवन-106 साधारण पूल आवास-03-आवासीय भवन-0301-प्रदेश के मण्डल/जनपद/तहसीलों के आवासीय भवनों के नवनिर्माण/पुर्ननिर्माण/विस्तार/सुदृढ़ीकरण एवं भूमि क्रय हेतु एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 के द्वारा दिये गये दिशानिर्देशों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
गिरीश चन्द्र
अनु सचिव।

संख्या-100/2015/724(1)/एक-5-2015-26/2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, लखनऊ।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5- जिलाधिकारी, मुजफफरनगर/बांदा/अमेठी/महराजगंज।
6- प्रबंधक निदेशक, पैकफेड/सम्बन्धित परियोजना प्रबंधक।
7- राजस्व अनुभाग-6
8- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,
गिरीश चन्द्र
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।